



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक २९] गुरुवार, डिसेंबर ११, २०२५/अग्रहायण २०, शके १९४७ [पृष्ठे २१, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६(१) के प्रथम परन्तुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. CIV OF 2025.

A BILL

THE AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN
FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF
THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR
ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2026.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १०४ सन् २०२५।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२६ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२६ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि, विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजन के लिए, उपबंध करना आवश्यक है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२५ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ के लिये, ७ अरब, ५२ करोड़, ८६ लाख, ३७ हजार, ५९ रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर सात अरब, बावन करोड़ छियासी लाख, सैंतीस हजार, उनसठ रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२६ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२६ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकम जो निम्न से अधिक नहीं होगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखे पर व्यय					
सामान्य प्रशासन विभाग					
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	७,००,००,०००	...	७,००,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	१,६२,९६,९५,०००	...	१,६२,९६,९५,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास।	१०,०१,०००	...	१०,०१,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ			
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।			
ए-६	सूचना तथा प्रसार।	२२२०, सूचना तथा प्रसार।	२०,००,००,०००	...	२०,००,००,०००
ए-७	सिविल विमानन।	३०५३, सिविल विमानन।	५,००,००,०००	...	५,००,००,०००
		कुल—सामान प्रशासन विभाग	१,९५,०६,९६,०००	...	१,९५,०६,९६,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	
		गृह विभाग	रुपये	रुपये
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन । २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासकिय सेवा ।	५,७७,४०,२३,०००	२,००,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	२०४१, वाहनों पर कर ।	२०,३५,५८,००,०००	२०,३५,५८,००,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	२,८८,९०,०००	२,८८,९०,०००
बी-५	जेल ।	२०५६, जेल ।	४२,०७,७४,०००	४२,०७,७४,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन । ३०५१, पतन तथा दीप गृह ।	१,६१,३६,००,०००	१,६१,३६,००,०००
कुल—गृह विभाग ।			२८,१९,३०,८७,०००	२८,२१,३०,८७,०००
राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग ।	१२,७७,०२,०००	१२,७७,०२,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ । २०५९, लोक निर्माण कार्य । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	३५,३१,४०,०००	३५,३१,४०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
नगरविकास विभाग					
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५५, सड़क परिवहन।	५५,५२,२१,९३,०००	५५,५२,२१,९३,०००	५५,५२,२१,९३,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	७,५४,६५,०००	७,५४,६५,०००	७,५४,६५,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१०,००,००,००,०००	१०,००,००,००,०००	१०,००,००,००,०००
वित्त विभाग					
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर संग्रहण। २०४०, विक्रय कर।	८०,००,०००	८०,००,०००	८०,००,०००
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	६९,१७,०००	६९,१७,०००	६९,१७,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	१,१५,४९,०००	१,१५,४९,०००	१,१५,४९,०००
कुल—वित्त विभाग।			२,६४,५८,०००	२,६४,५८,०००	२,६४,५८,०००
लोकनिर्माण कार्य विभाग					
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	२०,००,००,०००	२०,००,००,०००	२०,००,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	४,२४,००,००,०००	४,२४,००,००,०००	४,२४,००,००,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा।	९,८६,७९,०००	९,८६,७९,०००	९,८६,७९,०००

२२०३, तकनीकी शिक्षा ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति ।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
 २२१७, नगरविकास ।
 २२३०, श्रम, रोजगार और कौशल विभाग ।
 २४०३, पशुपालन ।
 २४०५, मत्स्योद्योग ।

कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग । . . ४,५३,८६,७१,००० ४,५३,८६,७१,०००

जलस्रोत विभाग

आय-३ सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ . . २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।
 २७००, बडी सिंचाई
 २७०१, मध्यम सिंचाई ।
 २७०२, लघु सिंचाई ।
 २७०५, कमान क्षेत्र विकास ।
 २७११, बाढ़ नियंत्रण और विकास ।
 २८०१, विद्युत ।
 ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान ।

१६,५७,९६,००० १६,५७,९६,०००

कुल—जलस्रोत विभाग । . . १६,५७,९६,००० १६,५७,९६,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-१ न्याय प्रशासन । . . २०१४, न्याय प्रशासन ।
 जे-२ सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।
 २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
 २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।
 ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।

१,९१,२४,५२,००० १,९१,२४,५२,०००
 १,६७,६१,४८,००० १,६७,६१,४८,०००

कुल—विधि तथा न्याय विभाग । . . २,८१,२१,२७,००० २,८१,२१,२७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग		रुपये	रुपये
के-४	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास।	२२३०, श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	२,०००	२,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत।	८१,००,००,०००	८१,००,००,०००
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
के-७	उद्योग।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
		२८५२, उद्योग।	१०,०५,८९,७२,०००	१०,०५,८९,७२,०००
		२८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।		
		कुल—उद्योग, ऊर्जा, श्रम तथा खनन विभाग।	९१,०५,८९,७४,०००	९१,०५,८९,७४,०००
ग्रामविकास विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,४३,७७,६०,०००	१,४३,७७,६०,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	५,४७,२५,२०,०००	५,४७,२५,२०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४१५, कृषि, अनुसंधान तथा शिक्षा।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५०५, ग्राम नियोजन।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		३०५४, सडक तथा पुल।		
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	८२,३७,०००	८२,३७,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग	६,११,८५,१७,०००	६,११,८५,१७,०००
खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-२	खाद्य, भंडारकरण और गोदाम।	२४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	१,५६,७६,८७,०००	१,५६,७६,८७,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	२८,०३,०००	२८,०३,०००
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।		
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	१,५७,०४,१०,०००	१,५७,०४,१०,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२०,८४,७८,०४,०००	२०,८४,७८,०४,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..		
	२२११, परिवार कल्याण।	..		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..		
	२२१६, आवास।	..		
	२२१७, नगर विकास।	..		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।	..		
	२२३०, श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास।	..		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..		
	२२३६, पोषण	..		
	२४०१, कृषि कर्म।	..		
	२४०२, मृदा तथा जल संवर्धन।	..		
	२४०३, पशुपालन।	..		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।	..		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..		
	२४०८, खाद्य, भंडारण और भंडारण।	..		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	..		
	२५०५, ग्राम नियोजन।	..		
	२८०१, विद्युत।	..		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	..		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	..		
	२८५२, उद्योग।	..		
कुल-सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।		..	२०,८४,७८,०४,०००	२०,८४,७८,०४,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
योजना विभाग				
ओ-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, .. २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३,००,००,००,०००	३,००,००,००,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	..	३५,४८,१९,००,०००	३५,४८,१९,००,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	५,००,००,०००	५,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	५८,३२,०००	५८,३२,०००
ओ-९	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, .. ३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	१०,००,००,००,०००	१०,००,००,००,०००
कुल—योजना विभाग।				
			४८,५३,७७,३२,०००	४८,५३,७७,३२,०००
आवास विभाग				
क्यू-३	आवास।	..	१९,०००	१९,०००
क्यू-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	..	९,८०,०००	९,८०,०००
कुल— आवास विभाग।			९,९९,०००	९,९९,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-१ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । . . २०४९, ब्याज अदायगीयाँ । . . ३५,७०,१९,८३,००० ३५,७०,१९,८३,०००

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।

२२११, परिवार कल्याण ।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।

२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । . . १,४४,९५,००० १,४४,९५,०००

कुल-लोकस्वास्थ्य विभाग । . . ३५,७१,५५,९८,००० ३५,७१,५५,९८,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१ चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । . . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । . . ५,९५,३९,८५,००० ५,९५,३९,८५,०००

कुल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग । . . ५,९५,३९,८५,००० ५,९५,३९,८५,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-४ सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । . . २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । . . २५,००,००० २५,००,०००

टी-५ जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय । . . २०५३, जिला प्रशासन । . . १२,५३,०७,२६,००० १२,५३,०७,२६,०००

२०५९, लोक निर्माण कार्य ।

२२०२, सामान्य शिक्षा ।

२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।

२२११, परिवार कल्याण ।

२२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।

२२१६, आवास ।

२२१७, नगरविकास ।

२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	..	७,२७,९२,०००	७,२७,९२,०००
वी-२	सहकारिता।	..	५,१५,४५,९६,०००	..	५,१५,४५,९६,०००
	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।				
	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
	२८५२, उद्योग।				
	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।				
	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	५,१५,४५,९६,०००	७,२७,९२,०००	५,२२,७३,८८,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	..	१,७४,४१,३७,०००	..	१,७४,४१,३७,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	..	२,१२,५४,७४,०००	..	२,१२,५४,७४,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति।	..	३,१४,७२,०००	..	३,१४,७२,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	७,६९,०००	..	७,६९,०००
	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।				
	कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	..	३,९०,१८,५२,०००	..	३,९०,१८,५२,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	..	५०,२४,४८,५९,०००	..	५०,२४,४८,५९,०००
	२२३६, पोषण।				
	कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	५०,२४,४८,५९,०००	..	५०,२४,४८,५९,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	१,९६,५७,१७,०००	..	१,९६,५७,१७,०००
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
	कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	..	१,९६,५७,१७,०००	..	१,९६,५७,१७,०००

कौशल, रोजगार, उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग

जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	६,०९,४६,८७,०००	२३,७६,०००	६,०९,७०,६३,०००
	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विभाग।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		कुल— कौशल, रोजगार उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग।	६,०९,४६,८७,०००	२३,७६,०००
				६,०९,७०,६३,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग		
		२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	८,००,०००	...
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		८,००,०००
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	६,६९,१७,०००	...
		३४५२, पर्यटन।	५०,००,००,०००	...
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	५६,७७,१७,०००	...
				५६,७७,१७,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग		
		२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२,९३,७७,६४,०००	...
		२०५३, जिला प्रशासन।		२,९३,७७,६४,०००
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।		...
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		...
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		...
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		...
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		...
		कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	२,९३,७७,६४,०००	...
				२,९३,७७,६४,०००

मराठी भाषा विभाग

जेड च-१	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	२५,४२,०००	...	२५,४२,०००
		कुल— मराठी भाषा विभाग।	२५,४२,०००	...	२५,४२,०००

अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग

जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	१७,०३,९२,७२,०००	...	१७,०३,९२,७२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।	१७,०३,९२,७२,०००	...	१७,०३,९२,७२,०००

मृदा तथा जल संरक्षण विभाग

जेड ज-३	सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	४,९५,००,०००	...	४,९५,००,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	४,९५,००,०००	...	४,९५,००,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	५,९९,७३,९६,७५,०००	८८,९६,७९,०००	६,००,६२,९३,४६,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	१०,३९,८१,६९,०००	...	१०,३९,८१,६९,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।			
		५००२, भारतीय रेल-वाणिज्य तरतूद पर पूँजीगत परिव्यय।			
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।			
		कुल—गृह विभाग।	१०,३९,८१,६९,०००	...	१०,३९,८१,६९,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।			
		६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।			
		कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००

[illegible]

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
ग्रामविकास विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	२७,००,००,०००	२७,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग	२७,००,००,०००	२७,००,००,०००
खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य भण्डारण और गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	२,२९,७२,३५,०००	२,२९,७२,३५,०००
		सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		खाद्य भण्डारकरण और गोदाम।	...	...
		सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	...	...
		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।	...	...
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग	२,२९,७२,३५,०००	२,२९,७२,३५,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत. . .	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	२२,४१,०००	. . .	२२,४१,०००
	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५४५२,	पर्यटन व पूंजीगत परिव्यय।			
		कुल—योजना विभाग। . .	२२,४१,०००	. . .	२२,४१,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	. .	३१,२५,००,०००
				. . .	३१,२५,००,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५,८६,२३,००,०००
				. . .	५,८६,२३,००,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,१६,२४,०७,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४४०८,	खाद्य भाण्डारकरण और गोदाम।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४७०१,	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	२,१६,२४,०७,०००
			कुल—जनजाति विकास विभाग। . .	. . .	२,१६,२४,०७,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग						
		रुपये	रुपये	रुपये		
बी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।					
	६४२५,	सहकारिता के लिए कर्ज।	१,५१,६२,००,०००	...		१,५१,६२,००,०००
	६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
	६८६०,	ग्राहक उद्योगों के लिए कर्ज।				
	७४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग	१,५१,६२,००,०००	...			१,५१,६२,००,०००
पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग						
जेड घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७,५०,०००	...	७,५०,०००
	कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	७,५०,०००	...			७,५०,०००
अल्पसंख्यक विकास विभाग						
जेड ड-२	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	५,००,००,०००	...		५,००,००,०००
	कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	५,००,००,०००	...			५,००,००,०००
मृदा और जल संरक्षण विभाग						
जेड-ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	१,०००	...	१,०००
	४७०२,	लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।				
	कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	१,०००	...			१,०००
	कुल — ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय।	१,५२,२३,४४,१३,०००	...			१,५२,२३,४४,१३,०००
	कुल योग।	७,५१,९७,४०,८८,०००	८८,९६,७१,०००	७,५२,८६,३७,५९,०००		

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में, राज्य की समेकित निधि में से, वर्ष २०२५-२०२६ के संबंध में कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दिखायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	. . ६,००,६२,९३,४६,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	. . १,५२,२३,४४,१३,०००
कुल	. . ७,५२,८६,३७,५९,०००

नागपूर,
दिनांकित ११ दिसम्बर २०२५।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।
(वित्त)

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।